

अपील संख्या 517/2017
अनवान
शिवलाल बनाम विमलादेवी वगैरा

दिनांक 13-12-2019

पत्रावली आज पेश हुई । अपीलांत अधिवक्ता को अपील के शेष रेस्पो० के सम्मन पेश करने हेतु आदेशिका दिनांक 20-6-18 से लगातार निर्देशित किया जा रहा है परंतु अपीलांत अधिवक्ता ने रेस्पो० के नोटिस प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा अपीलांत अधिवक्ता को आज न्यायालय समय में आवाजे दिलाई जाने पर भी वे उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारीज की जाती है । पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

